प्र.सं. 1/2021 भेरा व अन्य बनाम जीवराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बलीचा, तहसील लसाड़िया में वादीगण एवं प्रतिवादी से 1 से 3 के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की भाामलाती आराजी नंबर 694 रकबा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण अपने हिस्से पर निरस्तर का त करते चले आ रहे हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूश वाला जी थे, जिसके अनुसार विवादित आराजी में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2, 3 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा तथा भोश 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण है एवं पक्षकारान मौके पर इसी अनुसार काबिज होकर का त करते चले आ रहे हैं। अतः विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादीगण का स्वतंत्र 3/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2016 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार लसाड़िया को लिखा, किन्तु विभाजन प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा दिनांक 01.02.2018 को वादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण वादीगण का वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15.01.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री धर्मेन्द्र गहलोत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया है, जिसकी जानकारी होते ही अपीलान्टगण तुरन्त अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः न्यायहित में देरी को कण्डोन फरमाया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। ताईद में भापथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। चूंकि प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी में अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने की प्रथम दृश्टया कोई साक्ष्य नहीं है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। जहां कर गुणावगुण का प्र न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि राजीनामे के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी हुई है, इसके बाद प्रकरण विभाजन प्रस्ताव हेतु नियत था एवं तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करना था, इसमें पक्षकारों की उपस्थिति आव यक नहीं है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने [illegible] वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर [illegible] अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय [illegible] तथा प्रकरण में तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित कर[illegible] प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेशित किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:23 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 1/2021 भेरा व अन्य बनाम जीवराम व अन्य

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2016 को प्रकरण में वादीगण का वाद दर्ज रेकार्ड अनुसार होना मानते हुए तहसीलदार लसाड़िया को विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया है, जिस पर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना था, किन्तु दिनांक 24.01.2018 तक तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्प चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2018 की पे ाी नियत की एवं वादीगण के अनुपस्थिति रहने के कारण वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जो प्रथम दृश्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 5/2015 निर्णय दिनांक 01.02.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार लसाड़िया से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलान्ट/वादीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:23 IST
Reason: SelfAttested